

वधिकि सफलता और परहार संबन्धी चुनौतियाँ

यह एडिटरियल 10/01/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित ["Justice for Bilkis Bano, questions on remission"](#) लेख पर आधारित है। इसमें बलिकसि बानो मामले में दोषियों के लिये छूट के नलिंबन के आलोक में राज्यों के छूट नयिमों और संबन्धति संवैधानिकि प्रावधानों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिस के लयि:

[राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 161, राज्यपाल, कारागार अधनियिम, 1894, केहर सहि बनाम भारत संघ \(1989\), दंड प्रक्रयिा संहति \(CrPC\)।](#)

मेन्स के लयि:

भारत में परहार नयिम और संबन्धति संवैधानिकि प्रावधान।

[सर्वोच्च न्यायालय](#) ने हाल ही में [बलिकसि याकूब रसूल बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले \(2022\)](#) में बलिकसि बानो बलात्कार मामले में उमरकैद की सज़ा काट रहे 11 दोषियों को दी गई छूट या [परहार \(remission\)](#) को पलट दिया है। गुजरात राज्य ने अपनी [वर्ष 1992 की परहार नीति \(remission policy\)](#) के आधार पर 10 अगस्त 2023 को परहार प्रदान करते हुए इन दोषियों को रहिा कर दिया था। राज्य के इस परहार आदेश से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने नरिणय दिया था कि इस मामले में गुजरात राज्य उपयुक्त सरकार है जो [दंड प्रक्रयिा संहति, 1973 \(CrPC\)](#) के अनुसार परहार प्रदान करने के लयि अधिकृत है।

बलिकसि बानो मामले में हाल के मुद्दे क्या थे?

- **अन्याय और मलिीभगत:**
 - बलिकसि बानो मामले में 'असाधारण स्तर का अन्याय' (injustice of exceptionalism) संलग्न माना गया, जहाँ सामूहिकि बलात्कार और हत्या के 11 दोषियों को बनिा अधिकि सोच-वचिर के दंड से परहार प्रदान कर दिया गया।
 - सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय से एक याचकिाकर्ता, पूर्व के एक खंडपीठ और गुजरात सरकार के बीच मलिीभगत का पर्दाफाश हुआ जहाँ **अवैध रूप से परहार प्रदान कयिा गया।**
- **परहार अनुप्रयोग क्षेत्त्राधिकार (Remission Application Jurisdiction):**
 - एक स्पष्ट कानूनी मसाल मौजूद होने के बावजूद, गुजरात सरकार ने कानून का उल्लंघन करते हुए महाराष्ट्र सरकार की शक्ति का आहरण कर परहार अनुप्रयोगों पर अधिकार प्राप्त कर लयिा।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को परहार प्रदान कर सकने के लयि 'समुचिति सरकार' (appropriate government) मानने के पूर्व के नरिणय को अवैध करार देते हुए 11 दोषियों के परहार आदेश को रद्द कर दिया।
- **वधिकिा शासन बनाए रखने के लयि प्रशंसा:**
 - असाधारण अन्याय की स्थिति में **वधिकिे शासन** को बनाए रखने और कानून के समक्ष समता को अक्षुण्ण बनाए रखने में न्यायकि संवीक्षा के महत्त्व पर बल देने के लयि सर्वोच्च न्यायालय की प्रशंसा की जा रही है।
 - इस नरिणय के सख्त स्वर ने अवैधताओं और मलिीभगत को उजागर कयिा, जिससे बलिकसि बानो को न्याय के इस संघर्ष में सांत्वना मलिी।
- **बलिकसि बानो की सहनशीलता:**
 - न्याय की तलाश में बलिकसि बानो की बनी रही सहनशीलता (वह टूटी नहीं, झुकी नहीं, न्यायपालकिा पर आस्था को डगिने नहीं दयिा) को **चहिनति कयिा** गया और इसकी सराहना की गई, विशेष रूप से जबकिा 11 दोषियों की रहिाई के बाद एक समूह द्वारा नरिलज्ज उत्सव का दृश्य भी देखने को मलिा था।
 - **ताज़ा नरिणय को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है**, जो बलिकसि बानो को सांत्वना और समर्थन प्रदान करता है तथा महलिा अधिकारवादी अधिकिाओं के प्रयासों को चहिनति करता है।

परहार या छूट (Remission) क्या है?

■ परिचय:

- फरलो (furlough) और पैरोल (parole) के विपरीत, परहार के मामले में दंड की मूल प्रकृति को बनाए रखते हुए दंड की अवधि को कम करना शामिल है।
- प्रदत्त परहार के परिणामस्वरूप एक नरिदषित रहिाई तथिा घोषति की जाती है, लेकनि रहिाई की शर्तों के उल्लंघन के मामले में पूर्ण मूल दंड की पुनरबहाली की जा सकती है।
- स्वतंत्रता और जवाबदेही को संतुलति करना:
 - परहार की अवधारणा पर वचिार करें तो यह रहिाई की एक वशिषट तथिा घोषति करता है। लेकनि दोषी द्वारा रहिाई की शर्तों का पालन करना अनविार्य होता है, जहाँ उल्लंघन के मामले में इस परहार को रद्द कया जा सकता है।
 - शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप परहार रद्द कर दया जाता है, जसिसे दोषी वयक्ती को आरंभिक रूप से प्रदत्त दंड की पूरी अवधि गुजारनी होती है।
 - स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच यह नाजुक संतुलन परहार की कानूनी गतशीलता को आकार प्रदान करता है।

■ पृष्ठभूमि:

○ कारागार अधनियम 1894:

- कारागार अधनियम, 1894 द्वारा शासति परहार प्रणाली कैदियों के लयि मार्क्स प्रदान करने और दंड कम करने के नयिमों की रूपरेखा तैयार करती है।
- न्यायालय, जैसा कि केहर सहि बनाम भारत संघ मामले (1989) में स्पष्ट कया गया, सुधार के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए, कैदियों के लयि परहार पर वचिार करने के महत्त्व पर बल देता है।

○ सुधार का सिद्धांत (Principle of Reformation):

- यदिरहिाई या मुक्ती की आशा नहीं हो तो यह अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के वरिद्ध होगा।
- जबकि कसिी भी दोषी के पास परहार या दंड से छूट का मूल अधिकार नहीं है, परहार के लयि वचिार कयि जाने का अधिकार वैधानिक माना जाता है जो प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुरूप भी है।

○ परहार के मामले में कार्यकारी शक्ति और संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- परहार के मामले में राज्य की कार्यकारी शक्ति को, जैसा कि हरयाणा राज्य बनाम महेंद्र सहि मामले (2007) में प्रकट हुआ, वयक्तीगत मामलों एवं प्रासंगिक कारकों पर वचिार करना चाहयि।
 - महेंद्र सहि मामला परहार और संवैधानिक अधिकारों के बीच के संतुलन को रेखांकति करता है।
- न्यायालय वयक्तीगत मामले पर वचिार करने की आवश्यकता पर बल देते हैं, जहाँ वे परहार के मूल अधिकार की अनुपस्थति को स्वीकार करते हुए भी इस पर वचिार कयि जाने के कानूनी अधिकार को चहिनति करते हैं।

■ संवैधानिक प्रावधान:

- संवैधानिक द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान (pardon) की संप्रभु शक्ति प्रदान की गई है।
- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास कसिी अपराध के लयि सिद्धिदोष ठहराए गए कसिी वयक्ती के दंड को क्षमा (pardon), उसका प्रवलिंबन (reprieve), वरिम (respite) या परहार (remission) करने की अथवा दंडादेश के नलिंबन (suspend), परहार (remit) या लघुकरण (commute) की शक्ति है।
- ऐसा सभी मामलों में कसिी भी अपराध के लयि सिद्धिदोष ठहराए गए कसिी भी वयक्ती के लयि कया जा सकता है, जहाँ:
 - दंड या दंडादेश सेना न्यायालय या कोर्ट-मार्शल के माध्यम से दया गया है
 - दंड या दंडादेश ऐसे वषिय संबंधी कसिी वधिके वरिद्ध अपराध के लयि दया गया है जसि वषिय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का वसितार है
 - दंड या दंडादेश मृत्युदंड है।
- अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल के पास कसिी अपराध के लयि सिद्धिदोष ठहराए गए कसिी वयक्ती के दंड को क्षमा, उसका प्रवलिंबन, वरिम या परहार करने की अथवा दंडादेश के नलिंबन, परहार या लघुकरण की शक्ति है।
 - यह राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले कसिी भी वषिय पर कसिी भी वधिके वरिद्ध कसिी अपराध के लयि सिद्धिदोष ठहराए गए कसिी वयक्ती के लयि कया जा सकता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कसिी राज्य का राज्यपाल न्यूनतम 14 वर्ष की सज़ा काटने के पूर्व भी कसिी बंदी को (मृत्युदंड के लयि प्रतीक्षति बंदी सहति) क्षमादान प्रदान कर सकता है।
- अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से अधिक व्यापक है।

■ परहार की सांविधिक शक्ति:

- दंड प्रक्रया संहति (CrPC) जेल की सज़ा में परहार का प्रावधान करती है, जसिका अर्थ है कपूरी सज़ा या उसका कुछ हसिसे को रद्द कया जा सकता है।
- धारा 432 के तहत 'समुचति सरकार' कसिी दंड का पूरी तरह से या आंशिक रूप से, शर्तों के साथ या शर्तरहति, नलिंबन या परहार कर सकती है।
- धारा 433 के तहत समुचति सरकार द्वारा कसिी भी दंड का लघुकरण कया जा सकता है।
- यह शक्ति राज्य सरकारों को उपलब्ध है ताकि वे कारागार दंड पूरा करने से पहले बंदियों की रहिाई का आदेश दे सकें।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परहार संबंधी प्रमुख ऐतिहासिक मामले कौन-से रहे हैं?

■ मारू राम बनाम भारत संघ (1980):

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह सच है कि दंड को सुधार का रंग देने की एक आधुनिक प्रवृत्ति उभरती हुई प्रतीत होती है ताकि अपराधी को कारागार में बंद रखने के बजाय उसके सुधार पर बल दया जा सके, जो कि एक आदर्श उद्देश्य है।

■ लक्ष्मण नसकर बनाम पश्चिमि बंगाल राज्य (2000):

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन कारकों को नरिधारति कथिया जो परहार के आधार तय करते हैं, जैसे:
 - क्या कथिया गया अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावति कथिया बनिा अपराध का एक व्यक्तगित कृत्य है?
 - क्या भवषिय में अपराध की पुनरावृत्तकी कोई संभावना है?
 - क्या अपराधी अपराध करने की अपनी कषमता खो चुका है?
 - क्या इस सदधिदोष को अब और कैद में रखने का कोई सार्थक उद्देश्य है?
 - दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति।

■ ईपु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006):

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किपरहार के आदेश की न्यायकि समीक्षा नमिनलखिति आधारों पर उपलब्ध है:
 - वविक का गैर-अनुप्रयोग (non-application of mind);
 - यदा आदेश दुर्भावनापूर्ण है;
 - यदा ऐसा आदेश असंगत या पूरी तरह से अप्रासंगिकि वचिारों पर पारति कथिया गया है;
 - प्रासंगिकि सामग्रियों पर वचिार नहीं कथिया गया है;
 - आदेश मनमाना है।

■ भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (2015):

- क्या दोषी को बनिा परहार के वकिलप के उसकी अंतमि साँस तक के लथि आजीवन कारावास का दंड दथिया जा सकता है?
- 'कार्यकारी कषमादान' का अधिकार राष्ट्रपतथिया राज्यपाल में नहिति है।

■ बलिकसि बानो मामले पर जनहति याचिकाएँ (2023)

- परहार आवेदन पर नरिणय लेने के लथि 'समुचति सरकार' वह राज्य है जहाँ दोषियों को सजा सुनाई गई है।
- न्यायालय ने माना कि गुजरात सरकार ने दोषियों को सजा में छूट देते समय महाराष्ट्र सरकार से शक्तिका आहरण कथिया।

परहार से संबद्ध प्रमुख मुद्दे कौन-से हैं?

■ परहार के लथि पात्रता और आवेदन प्रक्रथिया:

- आजीवन कारावास की सजा काट रहे दोषियों को परहार के लथि आवेदन करने से पहले कम से कम 14 साल की सजा काटनी होती है। 'वन-साइज़-फटिस-ऑल' का यह दृष्टिकोण सुधारात्मक प्रक्रथियाओं में बाधाएँ उत्पन्न करता है।
- अपराध की प्रकृति, पुनरावृत्तकी संभावना और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों जैसे कारकों के आधार पर प्रत्येक आवेदन पर एक समति द्वारा व्यक्तगित मामले के आधार पर वचिार कथिया जाता है।
 - इस बात का उल्लेख नहीं है कि ऐसी समति का गठन व्यापक प्रतनिधित्व की पूरति करता हो।

■ परहार प्रक्रथिया में पारदर्शति का अभाव:

- परहार समतियों के गठन के बारे में पारदर्शति की कमी और नरिणय के कारणों की अनुपस्थतिमनमानी शक्तिके प्रयोग के बारे में चतिाएँ बढ़ाती है।
 - बलिकसि बानो मामले में 11 दोषियों का मामला बानो का मामला अनयित्प्रति वविक को उजागर करता है जहाँ गुजरात सरकार की ओर से प्रत्येक दोषी के लथि सदृश आदेश जारी कथि गए।

■ परहार आदेशों की न्यायकि समीक्षा:

- ईपु सुधाकर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2006) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के रुख का हवाला दथिया गया है, जो दर्शाता है किपरहार के आदेशों की न्यायकि समीक्षा वविक के गैर-अनुप्रयोग (non-application of mind) के मामलों तक ही सीमिति है।
- बलिकसि बानो मामले में वविक के गैर-अनुप्रयोग से जुड़ी चतिा बेहद प्रकट है जहाँ प्रत्येक दोषी के लथि सदृश आदेश जारी कथि गए।

■ परहार नीतियों में वदियमान चुनौतियाँ:

- भारत में कुछ राज्यों में ऐसी परहार संबंधी नीतियाँ मौजूद हैं जोया तो वशिष्ट अपराधी श्रेणियों को अवसरों से वंचति करती हैं या परहार पर वचिार करने से पहले कारावास की वसितारति अवधारिखती हैं।
- इस बारे में सवाल उठते हैं कि क्या कुछ अपराधियों को परहार के लथि अयोग्य होना चाहथि, जसिसेफरि दंड की रूपरेखा पर बहस शुरू हो गई है जो प्रतशिोधात्मक बनाम शरत-आधारति की एक जारी बहस है।

■ न्यायालय के लथि भवषिय की चुनौतियाँ:

- सर्वोच्च न्यायालय को परहार नीतियों के संबंध में मानक प्रश्नों को संबोधति करने में चुनौतियों का सामना करना पड सकता है, वशिष रूप से जबकिपरहार नीतियों के संबंध में वभिन्न राज्यों के बीच भन्निताएँ मौजूद हैं।
- कुछ अपराधियों की कषमादान की पात्रता और शरतों का नषिपक्ष अनुपालन सुनश्चिति करने जैसे मुद्दों का सामना करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो न्यायालय के लथि भवषिय की दुवधियों का संकेत देता है।

नषिकर्ष:

बलिकसि बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय वधि के शासन का एक सराहनीय दावा है और प्रशासन की मलीभगत एवं अवैधताओं का खंडन है। हालाँकि, यह मामला परहार से संबधति अनसुलझे मुद्दों को भी प्रकाश में लाता है, जहाँ नरिणय लेने की प्रक्रथिया में वदियमान अनयित्प्रति वविक को उजागर करता है।

पारदर्शति की कमी और परहार के नरिणयों को नरिदेशति करने वाले कारण मनमानी शक्तिकी संभावना को उजागर करते हैं। चूँकि समाज इन चुनौतियों का सामना कर रहा है, न्यायालय को परहार नीतियों और न्याय, पुनर्वास एवं नषिपक्षता के सदधिांतों के साथ उनके संरेखण के संबंध में मानक प्रश्नों को संबोधति

करने के लिये वविश होना पड़ेगा ।

अभ्यास प्रश्न: भारत की परहार नीति में पारदर्शति की कमी और अनयित्त्रति वविक कसि प्रकार न्याय के लिये चुनौती पेश करते हैं तथा कौन-से सुधारात्मक उपाय नषिपकष एवं सार्थक अनुपालन सुनश्चिति कर सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. मृत्यु दंडादेशों के लघुकरण में राष्ट्रपति के वलिंब के उदाहरण न्याय प्राख्यान (डनायल) के रूप में लोक वाद-वविाद के अधीन आए हैं । क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लिये एक समय-सीमा का वशिष रूप से उल्लेख कया जाना चाहयि? वश्लेषण कीजयि । (2014)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/legal-triumphs-and-challenges-in-remission>

